© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN: 2348 - 5612 | Volume: 04 Issue: 02 | April _ June 2017

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 तथा धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 के उद्देश्य एवं प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका पर प्रकाश

Pardeep, M.Com

ISSN : 2348-5612 © URR
9 770234 856124

संसद ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 को प्रतिस्थापित करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 अधिनियम बनाया है । यह नियम 1 जून , 2000 से लागू हुआ है । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मामलों की जांच करने हेतु केन्द्र सरकार ने निदेशक और अन्य अधिकारियों सहित प्रवर्तन निदेशालय को चिन्हित किया है ।

इस अधिनियम का प्रयोजन भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का अनुरक्षण और विधिवत रूप से विकास का उन्नयन और विदेशी व्यापार और भुगतान को साध्य बनाने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है ।

यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू है और भारतीय निवासी द्वारा नियंत्रित या भारत से बाहर उनके स्वामित्व में एजेंसियों और सभी शाखाओं , कार्यालयों में भी लागू होगा । जहां यह नियम लागू है किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किए गए उल्लंघन पर भी लागू होगा ।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा)

जब कोई व्यापारी उद्यम अन्य देशों से वस्तुओं का आयात करता है, उन्हें अपने उत्पाद निर्यात करता है अथवा विदेशों में निवेश करता है तो वह विदेशी मुद्रा का लेन देन करता है। विदेशी एक्सचेंज का अर्थ है विदेशी मुद्रा तथा इसमें निम्न शामिल हैं :-

(i) किसी विदेशी मुद्रा में संदेय जमा राशियां;

(ii) ड्राफ्ट (हुंडिया), यात्री चैक, ऋणपत्र या विनिमय हुंडियां जो भारतीय मुद्रा में व्यक्त या आहरित हो किन्तु किसी विदेशी मुद्रा में संदेय हो; तथा

(iii) ड्राफ्ट, यात्री चैक, ऋण पत्र या विनिमय हुंडियां जो भारत से बाहर बैंकों, संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा आहरित हो किन्तु भारतीय मुद्रा में संदेय हों।

© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN: 2348 - 5612 | Volume: 04 Issue: 02 | April _ June 2017

भारत में सभी लेन देन, जिनमें विदेशी मुद्रा शामिल हैं, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेमा), 1973 द्वारा विनियमित किए जाते थे। फेरा का मुख्य उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग करना था। इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा देश के बाहर तथा भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा व्यापार के संचालन के कुछ पहलुओं को नियंत्रित करना भी है। यह एक आपराधिक विधान था, जिसका अर्थ था कि इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप कारावास तथा भारी अर्थ दंड के भुगतान की सजा दी जाएगी। इसके अनेक प्रतिबंधात्मक खंड थे जो विदेशी निवेशों पर रोक लगाते थे।

आर्थिक सुधारों तथा उदारीकृत, परिदृश्य के प्रकाश में फेरा को एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसका नाम है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 । यह अधिनियम भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित भारत के बाहर सभी शाखाओं, कार्यालयों तथा अभिकरणों पर प्रयोज्य है। फेमा का आविर्भाव एक निवेशक अनुकूल विधान के रूप में हुआ है जो इस अर्थ में पूर्णतया सिविल विधान है कि इसके उल्लघंन में केवल मौद्रिक शास्तियों तथा अर्थदंड का भुगतान ही शामिल है, तथापि, इसके तहत किसी व्यक्ति को सिविल कारावास का दंड तभी दिया जा सकता है यदि वह नोटिस की तिथि से 90 दिन के भीतर निर्धारित अर्थदंड अदा न करे किन्तु ऐसा भी 'कारण बताओ नोटिस' तथा वैयक्तिक सुनवाई की औपचारिकताओं के पश्चात ही किया जाता है। फेमा में फेरा के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए एक द्विपक्षीय समाप्ति खंड की व्यवस्था भी की गई है जिसे एक 'कठोर' कानून से दूसरे 'उद्योग अनुकूल' विधान की ओर संचलन के लिए प्रदान की गई संक्रमण अवधि माना जा सकता है।

मोटे तौर पर फेमा के उद्देश्य हैं :

(i) विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को सुकर बनाना; तथा

(ii) विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास तथा अनुरक्षण का संवर्धन करना। अधिनियम में फेमा के प्रशासन में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक महत्वपूर्ण भूमिका समनुदेशित की गई है। अधिनियम की अनेक धाराओं से संबंधित नियम, विनियम तथा मानदंड केन्द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN: 2348 - 5612 | Volume: 04 Issue: 02 | April _ June 2017

निर्धारित किए गए हैं। अधिनियम में केन्द्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित जांच करने के लिए न्याय निर्णयन प्राधिकारियों के समतुल्य हो केन्द्र सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति करे। न्याय निर्णयन प्राधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक या अधिक विशेष निदेशक (अपील) की नियुक्ति करने का प्रावधान भी किया गया है। केन्द्र सरकार न्याय निर्णय प्राधिकारियों तथा विशेष निदेशक (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति भी करेगा। फेमा में केन्द्र सरकार द्वारा एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की व्यवस्था भी की गई है जिसमें एक निदेशक तथा ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारी वर्ग होंगे जिन्हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघनों की जांच पड़ताल करने के लिए उपयुक्त समझे।

फेमा में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन देन करने की अनुमति दी गई है। अधिनियम के अंतर्गत, ऐसे अधिकृत व्यक्ति का अर्थ है अधिकृत डीलर, मनी चेंजर, विदेशी बैंकिंग यूनिट या कोई अन्य व्यक्ति जिसे तत्समय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। इस प्रकार अधिनियम में किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रतिषिद्ध किया गया है जो :-

- किसी ऐसे व्यकित के साथ विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का लेन देन करना या अंतरित करना जो अधिकृत व्यक्ति नहीं है;
- भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति को या उसके क्रेडिट के लिए किसी भी तरीके से कोई भुगतान करना;
- भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के आदेश से या उसकी ओर से किसी भी तरीके से कोई भुगतान अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अन्यथा प्राप्त करना;
- भारत में कोई वित्तीय लेनदेन करना, जो भारत में निवासी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी परिसम्पत्ति को अधिगृहित करने के अधिकार के अधिग्रहण या सृजन अथवा अंतरण के लिए या उससे संबद्ध प्रतिफल के रूप में हो, जिसने भारत के

© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN: 2348 - 5612 | Volume: 04 Issue: 02 | April _ June 2017

बाहर अवस्थित कोई अचल सम्पत्ति या कोई विदेशी मुद्रा, अथवा विदेशी प्रतिभूति का अर्जन किया है, धारण किया है, स्वामित्व ग्रहण किया है या उसका अंतरण किया है।

© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN: 2348 - 5612 | Volume: 04 Issue: 02 | April _ June 2017

धनशोधन निवारण अधिनियम 2002

धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ 2003 के अधिनियम, जनवरी में अधिनियमित किया गया था 1 जुलाई, 2005 की धारा से प्रभाव से लागू हो गए हैं। जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तृप्त करने के लिए प्रयास करता है या जानबूझकर की सहायता करता है या जानबूझकर एक पार्टी या वास्तव में अपराध की आय के साथ जुड़े किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है और अपराध का दोषी होगा यह रूप में बेदाग संपत्ति में पेश किया जाता है के रूप में पीएमएलए के 3 काले धन को वैध के अपराध को परिभाषित करता है धनशोधन। और यह और भी सभी लेन-देन की और वित्तीय खुफिया इकाई को निर्धारित प्रपत्र में इस तरह के लेन-देन की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बैंकिंग कंपनियों, अपने सभी ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव के लिए वित्तीय संस्थाओं और बिचौलियों की बाध्यता का प्रावधान भारत (एफआईयू-आईएनडी) .यह ऊपर संकेत के रूप में वे या उसके अधिकारियों के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है, तो एफआईयू-आईएनडी के निदेशक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्था या मध्यस्थ पर जुर्माना लगाने के लिए कर सकती।

पीएमएलए काले धन को वैध में शामिल संपत्ति संलग्न करने के लिए भी धन शोधन के अपराध से जुड़े मामलों में जांच के लिए बाहर ले जाने और करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों को अधिकार देता है। पीएमएलए अनिवार्य रूप से यह द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र, शक्ति और अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक निर्णायक प्राधिकरण की स्थापना की परिकल्पना की गई लगाव या भी निर्णायक प्राधिकरण के आदेश और निदेशक एफआईयू-आईएनडी तरह अधिकारियों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की परिकल्पना की गई जुड़ी संपत्तियों की जब्ती के आदेश की पुष्टि के लिए।

पीएमएलए दंड प्रक्रिया 1973 की संहिता के तहत, एक ही मुकदमे में आरोप लगाया जा पी विधायक केन्द्र सरकार की अनुमति देता है, हो सकता है आरोप लगाया है, जिसके साथ पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराधों और अपराधों की कोशिश करने के लिए विशेष न्यायालय

© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN: 2348 - 5612 | Volume: 04 Issue: 02 | April _ June 2017

या विशेष न्यायालयों के रूप में सत्रों में से एक या एक से अधिक अदालतों के पद पर नियुक्ति की परिकल्पना की गई उस देश या किसी भी अपराध के तहत करने के लिए संबंधित मामलों की जांच में बल में पीएमएलए के तहत या इसी कानून के तहत, किसी भी अपराध की रोकथाम के लिए सूचना के आदान प्रदान पीएमएलए के प्रावधानों को लागू करने के लिए भारत से बाहर किसी भी देश की सरकार के साथ एक समझौते में प्रवेश करने के लिए पीएमएलए।

प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका

प्रवर्तन निदेशालय मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियमों के प्रावधानों और अधिनियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके तहत जारी नियम और विनियमों से संबंधित है । निदेशालय के अधिकारी न्यायनिर्णयन कार्य भी निष्पादित करते हैं ताकि अधिनियम के उल्लंघन के लिए व्यक्तियों पर शास्ति अधिरोपित की जाए ।

संगठन ढांचा

प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है । इसके दस क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद , बंगलौर, चंडीगढ़ , चेन्नई , कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद , लखनऊ, कोलकाता और मुम्बई में है । क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष उप निदेशक हैं निदेशालय के 11 उप क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, कालीकट, गुवाहाटी, इंदौर, जालन्धर, जयपुर, मदुरै, नागपुर, पटना, श्रीनगर और वाराणसी में है । । इसके अतिरिक्त तीन विशेष प्रवर्तन निदेशक और दो अतिरिक्त प्रवर्तन निदेशक हैं ।

मूलतः निदेशालय निम्न लिखित कार्य करता हैः

1. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 जो 1.6.2000 को प्रभावी हुआ है, के प्रावधानों के उल्लं घन की जांच विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम के उल्लंीघनों का निपटान प्रवर्तन निदेशालय के नामित प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है और इसके अंतर्गत अर्द्ध न्याेयिक जांच प्रक्रिया के दौरान उल्लंघन सिद्ध होने की स्थिति में संबंधित व्यरक्ति/फर्म/ईकाई के ऊपर संलिप्तन राशि के तीन गुना तक की राशि का आर्थिक दण्डय लगाया जा सकता है।

© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN: 2348 - 5612 | Volume: 04 Issue: 02 | April _ June 2017

2. (पीएमएलए) में जांच की प्रक्रिया अन्य् अपराधिक कानूनों की तरह ही की जाती है। जांच के दौरान या उपरान्तज यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यंक्ति/ इकाई ने जो संपत्ति एकत्र की है या बनाई है, वह पीएमएलए में अधिसूचित 28 कानूनों की 156 धाराओं में दण्डित अपराधों के फलस्वीरूप अर्जित की गयी है व तत्प श्चाकत उसका शोधन किया जा चुका है, उस स्थिति में ऐसी संपत्ति को अंतरिम रूप में जब्त् किया जा सकता है, और अन्तो में उचित अपराधिक न्यातयिक प्रक्रिया (मुकदमा) पूर्ण होने पर ऐसी संपत्ति को कुर्क भी किया जाता है।

3. उन मामलों में जिनमें फेरा 1973 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित कारण बताओं नोटिस (एस.सी.एन) 31.05.2002 तक जारी किये थे, अर्द्ध न्याोयिक प्रक्रिया के बाद निदेशालय के अधिकारी, उचित निर्णय लेते है, ओर यदि उल्लंघन सिद्ध पाया जाता है, तब उचित जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह के उन मामलों में, जिनमें अपराधिक केस 31.05.2002 तक न्याकयालय में दायर किया गया थ, न्यातयालय न्याधयसंगत फैसला करते है।

4. विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्कगरी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा) के प्रत्या योजित मामलों के संबंध में फेमा का उल्लंधघन

5. पीएमएलए के प्रावधानों के अंतर्गत धनशोधन तथा परिसंपत्तियों के प्रत्याायन के संबंध में अन्यप देशों को सहयोग उपलब्धत कराना और इन मुद्दों पर सहयोग प्राप्तय करना।

सन्दर्भ सूचि :

1) http://dor.gov.in/hi/preventionofmoneylaundering
2) http://www.enforcementdirectorate.gov.in/hindi/functions.html?p1=1175221498151497463
3) https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/bulletin.aspx
4) भारतीय रिज़र्वे बैंक आलेख
5) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) : राजस्व विभाग